संख्या-13/2026/आई0/1231567/2026/File No.65-2002(001)/2/2020

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (द्वितीय किस्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी0 4175/निदे0दि0स0/श0मि0पु0वि0वि0/2025-26 दिनांक 19.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु गैर वेतन मद के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय किस्त के रूप में **रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। स्वीकृति के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत धनराशि पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव/वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण-पत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार व्यय विवरण सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराते हुये अवशेष किस्तों की धनराशि निर्गत करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

(10) राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) शासनादेश संख्या-79/2025/I/1095208/2025/फाईल संख्या-65-2002(001)/2/2020 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-24-कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी सं0 E-4-202-X-2025-26 दिनांक 05.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

<u>तद्संख्या/तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- कुलसचिव/वित्त अधिकारी, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।

7- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।